

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,

**SECTION 3, SUB-SECTION (i)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

Notification

New Delhi, dated the 4th July, 2017

INCOME-TAX

G.S.R -----(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 195 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (19th Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the Principal rules), in rule 29B, in sub-rule (1), clause (i), for the words "interest on securities" the words and brackets and figures "interest on securities (other than interest payable on securities referred to in proviso to section 193)" shall be substituted.
3. In the principal rules, in Form No. 15C, for the words "interest on securities" the words, brackets and figures "interest on securities (other than interest payable on securities referred to in the proviso to section 193)" shall be substituted.

[Notification No. 59 /2017, F.No.370 142/8/2017-TPL]



(LAKSHMI NARAYANAN)

UNDER SECRETARY (TAX POLICY AND LEGISLATION)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number G.S.R. 821 (E), dated the 03.07.2017

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली 4 जुलाई, 2017

आयकर

सा.का नि.(अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 195 सपठित धारा 295 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् --:


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 29ख के उपनियम (1), खंड (i) में शब्दों "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के स्थान पर "प्रतिभूतियों पर ब्याज (193 के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज से भिन्न)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जायेगा

3. उक्त नियमों के प्ररूप संख्या 15 में शब्दों "प्रतिभूतियों पर ब्याज" जहां वे आते हैं, के स्थान पर "प्रतिभूतियों पर ब्याज (धारा 193 के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज से भिन्न)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जायेगा।

अधिसूचना सं. 59/2017, फासं. 370142/8/2017-टीपीएल]



(लक्ष्मी नारायण)

अवर सचिव, (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गये थे और अधिसूचना संख्या सा.कानि. 821 (अ), तारीख 03.07.2017 को अंतिम संशोधन किया गया था।